कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा (छ.ग.)

प्रेस विज्ञप्ति

संचालक, संचालनालय, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/891/274/नवा रायपुर दिनांक 30/07/2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक कलस्टर में **"आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन"** के चयन हेतु आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा में दिनांक 10/09/2024 समय 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। योजनांतर्गत **"आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन"** के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला बेमेतरा के वेब–साईट **https://bemetara.gov.in** पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

20/8/24

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

पृ.क्र./3042/जि.पं./प्र.मं.आ.यो.–ग्रा./2024–25 बेमेतरा, दिनांक 20/08/2024

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर–19 अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला– बेमेतरा को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
4. सहायक संचालक, जन संपर्क, जिला– बेमेतरा को दैनिक सामाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बेमेतरा, बेरला, नवागढ़ एवं साजा को सूचनार्थ। जनपद पंचायत सूचना पटल पर प्रेस विज्ञप्ति चस्पा किया जाना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय सूचना पटल।
7. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत..जिला बेमेतरा को सूचनार्थ। ग्राम पंचायत सूचना पटल पर प्रेस विज्ञप्ति चस्पा किया जाना सुनिश्चित करें।

20/8/24

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा (छ.ग.)

नियम एवं शर्ते :–

1. **क्लस्टर निर्माण :–**

   जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूहों में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण किया गया है। प्रत्येक समूह में 01 **"आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन"** रखा जाना है। यथासंभव एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य होगा, परंतु कोई ग्राम पंचायत विभाजित नहीं किया जाएगा।

2. **शैक्षणिक योग्यता :–**

   - बी.ई./डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी **"आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन"** चयन के लिए पात्र होंगे। बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।
   - **"आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन"** के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
   - **चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्ति किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ क्लस्टर में सेवा ली जावेगी।**
   - **"आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र,** महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य, बेयर फुट टेक्निशियन (BFT), बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियम अनुसार चयन कर सकते है।

3. **चयन का आधार :–** अभ्यर्थियों का चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंको की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

   1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण – न्यूनतम 65 अंक
   2. बी.ई. सिविल/डिप्लोमा सिविल उत्तीर्ण – 15 अंक
   3. पूर्व में कार्यरत् आवास मित्र – 20 अंक
   4. बेयर फुट टेक्निशियन (BFT) – 10 अंक
   5. महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य तथा बैंक सखी – 10 अंक

4. **आवेदन :–** जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जावेगा। **आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। चयनित "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" को जनपद पंचायत के किसी भी क्लस्टर में नियुक्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के उपर जनपद पंचायत का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा।**

   अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई भी सूचना नहीं दी जावेगी।

5. **आयु :–** **"आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन"** हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होगें।

6. **चयन समिति :–** जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जावेगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग से) या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे। जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की

Scanned with CamScanner

सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित क्लस्टर में "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के रूप में ली जावेगी।

7. <u>प्रोत्साहन राशि :–</u> "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" को प्रति पूर्ण आवास के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी :–

- "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास पूर्णता पर 1,000 रू. की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जावेगी।
- "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
- 300 रूपये प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग, स्वीकृति, प्रथम किश्त जारी तथा ले–आउट होने के पश्चात्।
- 300 रूपये प्रति आवास जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात्।
- 400 रूपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, प्लास्टर, पोताई, खिड़की/दरवाजा लोगो पूर्ण होने के पश्चात्।

8. <u>राशि का भुगतान :–</u> "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजनांतर्गत 1.7 % Contingency मद से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जावेगा।

9. <u>समयावधि :–</u> "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।

10. <u>अवधि की गणना :–</u> "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जावेगी, साथ ही मार्गदर्शिका के अनुसार समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

11. <u>जॉब चार्ट :–</u>

- हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना।
- 12 माह की समय–सीमा में आवास पूर्ण कराना।
- आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
- हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
- आवास निर्माण के Stage Wise जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में MIS Entery सुनिश्चित कराना।

12. <u>विशेष :–</u>

- चयनित "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के संबंध में शासन–प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" चयन हेतु गठित समित का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 10 रूपये के स्टाम्प पेपर में में शपथ पत्र (शपथ पत्र संलग्न)।

20/8/24

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा,छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत " आवास मित्र/ समर्पित मानव संसाधन हेतु आवेदन पत्र

जनपद पंचायत का नाम ....

आवेदक का अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत– बेमेतरा (छ.ग.)

1 अभ्यर्थी का नाम –(हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में)

2. पिता/पति का नाम – (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में)

3. जन्म तिथि(अंको में)

3.1लिंग – पु/म.

शब्दों में ....
दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में आयु – ....वर्ष .... माह .... दिन ....
(हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है.? ....
छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी) की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

5. क्या आप न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12 वीं उत्तीर्ण है या नहीं – ....

6. शैक्षणिक योग्यता – (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय समूह का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1	हायर सेकेण्डरी						
2	एम.ए.(ग्रामीण विकास)						
3	बी.ई. सिविल/डिप्लोमा सिविल						

7. आवेदक का पता – ....

....

....(मो.नं.) ....

8. यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र/बेयर फुट टेक्निशियन/महिला स्वसहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी में सेवारत है तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें :–

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक
1	2	3
		.... से .... (कुल अवधि) ....

9. किसी भी थाना/न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज/लंबित तथा पूर्व में किसी प्रकार का सजा हुआ है या नहीं– ....

10. अभ्यर्थी का घोषणा पत्र –

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त फार्म में बिन्दु क्रमांक 01 से 10 तक की दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्काषित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैने यह आवेदन सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गए नियमों के अनुसार मुझे आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन के पद पर आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान :– .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक :– ....

नाम – ....

नोट – आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित स्व–प्रमाणित प्रमाण–पत्र ही संलग्न करे। संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित कम में रखी जावे।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

1. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र
3. एम.ए.(ग्रामीण विकास)
4. बी.ई. सिविल/डिप्लोमा सिविल शैक्षणिक योग्यता (जो विज्ञापन में निर्दिष्ट हों)
5. आवास मित्र/बेयर फुट टेक्निशियन/महिला स्वसहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी का अनुभव प्रमाण पत्र